बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

संoसंo–स्थाo–02/05–02/16 /पटना, दिनांक

प्रेषक,

पूनम (भाoप्रoसेo),

निदेशक।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी),
सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

विषयः– बैंक खातों के संचालन एवं उसमें संचित राशि की समीक्षा कर 01.03.18 तक व्यय नहीं होने वाली राशि संबंधित शीर्ष में जमा करने के संबंध में।

प्रसंगः– अधोहस्ताक्षरी का पत्रांक–2684 दिनांक 30.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का अवलोकन करें। उक्त पत्र के साथ मुख्य सचिव, बिहार का पत्रांक 8978 दिनांक 17.11.2017 एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1144 दिनांक 20.11.2017 की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) भेजते हुए निदेश दिया गया है कि आपके कार्यालय के बैंक खातों में संचित राशि की समीक्षा कर 31.03.2018 तक जिस राशि का व्यय किया जाना संभव नहीं है वह राशि संबंधित शीर्ष में जमा करना सुनिश्चित करें।

आप जानते हैं कि किसी विभाग/कार्यालय के लिए बैंक खाता खोलने एवं वित्तीय संव्यवहार हेतु वित्त विभाग के द्वारा पूर्व से नियम एवं दिशा निर्देश जारी किए गये हैं एवं उसका अनुपालन किया जाना आवश्यक है। विभागों/कार्यालयों में संधारित बैंक खातों के संचालन एवं वित्तीय सव्यवहार हेतु निर्गत वित्त विभाग के पत्र संख्या 7691/विo दिनांक 22.09.17 (छायापति संलग्न) की कंडिका 'ग', पत्र संख्या 8826/विo 16.11.2016 एवं पत्र संख्या–9106 दिनांक 28.11.2016 (दोनों की छायाप्रति संलग्न) तथा पूर्व प्रेषित मुख्य सचिव बिहार, पटना का पत्रांक 8979 दिनांक 17.11.2017 एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1144 दिनांक 2011–2017 के निदेशानुसार बैंक खातों के संचालन एवं वित्तीय संव्यवहार हेतु निम्न निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

i. प्रत्येक कार्यालय के लिए एक ही बैंक खाता संचालित हो।

ii. कार्यालय बैंक खाता आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम से कोषागार से संबंधित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में संचालित किया जाना है।

iii. उक्त शाखा में चालू बैंक खाता (Current Bank account), से ही सभी वित्तीय संव्यवहार हो एवं यदि पूर्व में कोषागार से सबंधित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में कार्यालय का बचत खाता हो तो उसे चालू बैंक खाता में परिवर्तित करवाना सुनिश्चित करें।

iv. वित्त विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार यदि किसी कारण से राशि की निकासी कर बैंक खाता में रखना अनिवार्य हो तो युक्तियुक्त कारणों के साथ प्रशासी विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ही विशेष परिस्थिति में बैंक खाता खोला जाना है। परन्तु यदि बिना अनुमति प्राप्त किये आपके कार्यालय का बैंक खाता खोला गया है एवं वह खाता वित्त विभाग के दिशा निर्देश के अनुरुप है, तो उसे जारी रखने हेतु वित्त विभाग का घटनोतर सहमति प्राप्त करने का प्रस्ताव यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें।

v. यदि कार्यालय का बैंक खाता उक्त कंडिका–i से iv में अंकित दिशा निर्देश के अनुरुप है तो उससे सभी वित्तीय संव्यवहार जारी रखें एवं उसके अतिरिक्त अन्य सभी बैंक खाता को 15.12.2017 के पूर्व बन्द करते हुए उसमें जमा राशि यदि 31.03.2018 तक व्यय होने योग्य नहीं हो तो उसे सबंधित शीर्ष (अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 2684 दिनांक 30.11.2017 के साथ संलग्न अनुलग्नों में अंकित जमा शीर्ष) में एक सप्ताह के अन्दर जमा करना सुनिश्ति करें।

vi. यदि किसी मद में निकासी कर रखी गई राशि में से किसी गणना कार्य में संलग्न प्रगणकों, पर्यवेक्षकों एवं अन्य कर्मियों/पदाधिकारियों का मानदेय, पारिश्रमिक या अन्य कोई भत्ता का भुगतान लंबित हो तो विशेष अभियान चलाकर संबंधितों को नियमानुसार एक सप्ताह के अन्दर बैंक खाता/चेक के माध्यम से हस्तान्तरित/वितरित करना सुनिश्चित करें तथा अवितरण/अव्यवहृत राशि तुरन्तु निर्धारित शीर्ष के जमा करें।

vii. वर्तमान में कार्यालय के द्वारा संचालित खाता एवं उसमें जमा राशि से संबंधित सूचना संलग्न प्रपत्र–1 एवं 2 में यथाशीघ्र भेजना सुनिश्चित करें।

viii. मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रों के आलोक में उपरोक्त विन्दुओं/निदेशों का शत–प्रतिशत अनुपालन एक पक्ष के अन्दर नहीं करने की स्थिति में संबंधित कार्यालय का कोषागार से वित्तीय सव्यवहार दिनांक 31.12.2017 के उपरान्त बंद कर दिया जाएगा।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

11/12/17

निदेशक

ज्ञापांकः– 2755 /पटना, दिनांक 11-12-17

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक(आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग द्वारा जारी उक्त निदेशों का अनुपालन निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से करवाने हेतु सभी अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

2. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सभी संबंधितों के ई–मेल पर प्रेषित करने एवं श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/12/17

निदेशक

प्रपत्र –1

कार्यालयों में संधारित बैंक खाता से संबंधित विवरणी

कार्यालय का नाम	कोषागार का नाम	कार्यालय के लिए खोले गये बैंक खाता का विवरण (यदि एक से अधिक बैंक खाता संचालित हो तो सभी का विवरण अलग–अलग दिया जाय)								अभ्युक्ति
		बैंक एवं शाखा का नाम	खाता संख्या	खाता का स्वरुप बचत/चालू खाता	बैक का यह शाखा कोषागार से संबंधित है या नहीं।	बैंक खाता खोलने हेतु विभाग/वित्त विभाग से अनमति प्राप्त की गई है या नहीं	यदि खाता खोलने हेतु अनुमति प्राप्त की गई हो तो उस प्राधिकार/पदाधिकारी का नाम/पदनाम (अनुमति से संबंधित पत्र दस्तावेज संलग्न करें।	बैंक खातों में 31.08.17 को जमा राशि	बैंक खाता में 30.11.17 को जमा राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल योगः–										

लेखापाल/रोकड़पाल का हस्ताक्षर
नामः–
मो०नं०:–

आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नामः–
मो०नं०:–

प्रपत्र –2

कार्यालयों में संधारित बैंक खातों में जमा राशि के व्यय एवं जमा करने से संबंधित विवरणी

कार्यालय का नाम	कोषागार का नाम	कार्यालय के लिए खोले गये बैंक खाता का विवरणी (यदि एक से अधिक बैंक खाता संचालित हो तो सभी का विवरण अलग–अलग दिया जाय)								अभ्युक्ति
		बैंक एवं शाखा का नाम	खाता संख्या	खाता का स्वरुप बचत/चालू खाता	प्रत्येक बैंक खाता में 30. 11.2017 को जमा राशि (शीर्ष/मदवार राशि)	ज्मा राशि का मद (शीर्ष/मदवार राशि)	31.03.2018 तक व्यय/वितरण योग्य राशि(शीर्ष/मदवार राशि) (शीर्ष/मदवार राशि)	शीर्ष/मदवार अव्यवहृत राशि जिसका व्यय/वितरण किया जाना संभव नहीं है	निर्धारित शीर्ष में/पी०एल०एकाउन्ट में जमा करने योग्य राशि (शीर्ष/मदवार राशि)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल योगः–										

नोटः– कॉलम 6, 7, 8, 9 एवं 10 में शीर्षवार/मदवार राशि का व्योरा अंकित करना संभव नहीं हो तो यहाँ कुल राशि अंकित करते हुए उन कॉलम के लिए शीर्षवार/मदवार विस्तृत विवरणी अलग से संलग्न करें।

लेखापाल/रोकड़पाल का हस्ताक्षर
नामः–
मो०नं०ः–

आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नामः–
मो०नं०ः–